

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

पत्रांक-6/ब0गै0यो0-01-79/2015गृ0आ0..... पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना के मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष 109-जिला पुलिस, उपशीर्ष 0009-एस0आर0ई0 योजना से आच्छादित जिलों में आपात स्थिति में किराये पर लिए जाने वाले वाहन/हेलिकॉप्टरों/संचार संसाधन (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से होगी), विषय शीर्ष 28 01- व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ तथा विपत्र कोड N2055001090009 के अंतर्गत संभावित बचत राशि में से इसी मुख्य शीर्ष के उप मुख्यशीर्ष 00, लघु शीर्ष 109-जिला पुलिस, उपशीर्ष 0017-उद्भववादी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय, विषय शीर्ष 13 01-कार्यालय व्यय तथा विपत्र कोड N2055001090017 के अंतर्गत कुल ₹ 1,25,00,000 (एक करोड़ पच्चीस लाख रू0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :- बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु0 :- अनुसूची।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0गै0यो0-01-79/2015 गृ0आ0.....¹⁷⁴.....पटना, दिनांक 11/1/16

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/
वित्त विभाग (बजट शाखा-5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक
(बजट, अपील एवं कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।



6.1.16
सरकार के प्रधान सचिव